भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3759
21 दिसम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

जनजातीय क्षेत्र में एफपीआई

3759. श्री दुर्गा दास उइके:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों में वन संबंधी उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिस पर 90 प्रतिशत जनजाति अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं;

(ग) क्या सरकार का बैतूल और शेष मध्य प्रदेश में वन्य उत्पादों को सरकारी भांडागारों तथा खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में लाकर प्राथमिक वन्य उत्पादों और खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करके उनके मूल्य में वृद्धि करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। तथापि, यह प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के अंतर्गत उद्यमियों को अनुदान के माध्यम से इन उद्योगों की स्थापना करने में प्रोत्साहित करता है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों में और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों को पीएमकेएसवाई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए अनुदान की उच्च दर सहित कई रियायतें प्रदान की जाती हैं। पीएमकेएसवाई में जनजातीय उप-योजना शीर्ष (टीएसपी) के अंतर्गत एसटी उद्यमियों को कुल 25 ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। एमओएफपीआई केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के अंतर्गत भी जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान करता है।

(ख): जी हाँ ।

(ग) और (घ): एमओएफपीआई पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश भर में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण के आधार पर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। लघु वन उपज के रूप में पहचाने गए ओडीओपी वाले जिलों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के लिए आम की पहचान ओडीओपी के रूप में की गई है। एमओएफपीआई ने एसटी लाभार्थियों की पहचान, प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग समर्थन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है और मिनी ट्राइफूड इकाइयों की स्थापना में लघु वनोपज (एमएफपी) के प्राथमिक एवं द्वितीय प्रसंस्करण के लिए सहयोग कर रहा है ।

(ड.): लागू नहीं है ।

****

अनुलग्नक

जनजातीय क्षेत्र में एफपीआई के संबंध मे दिनांक 21.12.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3759 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में लघु वन उपज वाले जिलों की सूची

क्र.स.	ज़िला	राज्य	ओडीओपी
1.	बीजापुर	छत्तीसगढ	लघु वन उपज(महुआ आदि)
2.	गरियाबंद	छत्तीसगढ	लघु वन उपज(चिरौंजीआदि)
3.	जगदलपुर (बस्तर)	छत्तीसगढ	लघु वन उपज(इमली)
4.	कोरबा	छत्तीसगढ	लघु वन उपज(महुआ आदि)
5.	नारायणपुर	छत्तीसगढ	लघु वन उपज(हर्रा आदि)
6.	खुंटी	झारखंड	लघु वन उपज(इमली)
7.	लातेहार	झारखंड	लघु वन्य उत्पाद(महुआ)
8.	सरायकेला-खरसावाँ	झारखंड	लघु वन उपज(चिरौंजी)
9.	गडचिरोली	महाराष्ट्र	लघु वन उपज(महुआ/शहद/हर्दा/बहड़ा आदि)
10.	राजसमंद	राजस्थान	लघु वन उपज(आंवला, जामुन, शरीफा आदि)
11.	उदयपुर	राजस्थान	लघु वन उपज(आंवला, जामुन, शरीफा आदि)